न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ।
पीठासीन अधिकारी :– **रामरतन सौंकरिया आर.ए.एस.**

प्रकरण संख्याः 71/2021

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

पवन पुत्र प्रवीण कुमार निवासी ग्राम थेड़ी गंगानी तह0 हनुमानगढ

अप्रार्थी

मुकदमा अन्तर्गत धारा 6 ए ई0सी एक्ट

उपस्थितः– 1 श्री शिवराज सिंह बराड राजकीय अधिवक्ता।
2 श्री छगनलाल सिडाना अप्रार्थी अधिवक्ता।

–:निर्णयः–

दिनांकः–18.08.2021

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12.07.2021 को जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ हमराह कार्यालय स्टाफ के साथ पेट्रोल–डीजल की अवैध तस्करी, भण्डारण एवं परिवहन की रोकथाम विरूद्ध अभियान के तहत रावतसर रोड़ पर बोलेरो कैम्पर नम्बर RJ-10-GB-0568 को रूकवाकर वाहन की तलाशी ली गई। मौके पर उपस्थित गवाहों के समक्ष तलाशी के दौरान 1040 लीटर डीजल मय 05 प्लास्टिक ड्रम मिले। वाहन चालक ने स्वंय का नाम पवन पुत्र प्रवीण कुमार उम्र 26 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम थेड़ी गंगानी तह0 हनुमानगढ का होना बताया। मुताबिक पवन उक्त कैम्पर में भरा समस्त डीजल हरियाणा स्थित पेट्रोल पम्प से खरीद किया गया है एवं डीजल के उपयोग एवं परिवहन के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दिया एवं न ही कोई वैध दस्तावेज लाईसेंस, परमिट आदि होना बताया। उक्त कैम्पर में लगातार भण्डारण एवं परिवहन स्पष्ट करता है कि उक्त वाहन का उपयोग हरियाणा से डीजल खरीद कर राजस्थान में अवैध कारोबार करने में किया जाता है। मौके पर पाये गये 1040 लीटर डीजल मय 5 प्लास्टिक ड्रम संबंध में कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं अवैध भण्डारण एवं कारोबार स्पष्ट होने के कारण 1040 लीटर डीजल मय 05 प्लास्टिक ड्रम तथा बोलेरो कैम्पर नम्बर RJ-10-GB-0568 को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। जब्त की गई उक्त सामग्री श्री प्रवीण कुमार पुत्र गुरबक्श राय जाति अग्रवाल उम्र 60 वर्ष हाल उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नं0 01ए तह0 हनुमानगढ को सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार पवन पुत्र प्रवीण कुमार उम्र 26 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम थेड़ी गंगानी तह0 हनुमानगढ द्वारा मोटर स्प्रिट और उच्चवेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 4 का उल्लंघन किया गया है। जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत 6ए प्रस्तुत कर राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ द्वारा निवेदन किया गया कि जब्त बोलेरो कैम्पर नम्बर RJ-10-GB-0568 मय 1040 लीटर डीजल मय 05 प्लास्टिक ड्रम को राजसात करने के आदेश फरमावे।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। जब्तशुदा डीजल को ज्वलनशील पदार्थ होने से जानमाल की हानि की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 14.07.2021 को दिये जा चुके है।

अप्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक जवाब नोटिस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम पेश किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

उक्त कैम्पर में प्राप्त हुआ डीजल हरियाणा स्थित पेट्रोल पम्प से खरीद किया गया है। अप्रार्थी को 2500 लीटर डीजल परिवहन करने एवं भण्डारण करने की अधिकारिता है। 1040 लीटर की सीमा तक प्रकरण नही बनाया जा सकता लेकिन जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ ने मनमाने तौर से गलत प्रकरण बनाया है। अप्रार्थी के पिता व माता के नाम से ट्रैक्टर है एवं अप्रार्थी की माता–पिता के नाम से ट्रैक्टर है एव अप्रार्थी के माता–पिता एवं दादा के नाम की कृषि भूमि है। कृषि भूमि को काश्त करने हेतु डीजल की आवश्यकता रहती है। वरवक्त जांच यह भी बता दिया था कि डीजल खेती कार्य एवं स्वयं के वाहन के उपयोग हेतु ले जाया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और सपठित मोटर स्प्रिट और उच्चवेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 4 का उल्लंघन नहीं किया गया है। जिसकी अंतिरिक्त आपतियों में इस प्रकार है कि:–

- यह कि "Petroleum Products (Maintenance of Production, Storage and Supply) Order 1999-GSR 272 (E) dated 16.04.1999- In exercise of powers conferred by Sec.3 of the Essential Commodities Act 1955, (10 of 1955), in order to regulate production, storage and supply of petroleum products in the interest of sustaining public life, economy and protecting consumers interest, the Central Government hereby makes the following order, namely:-"इस आदेश के क्लॉज 2 सब क्लॉज आई में यह निर्धारित किया गया है कि "Retail Sale" means sale of petroleum products not exceeding 2500 litres to any one customer at a time" केन्द्र सरकार का उक्त आदेश 1999 वरवक्त घटना प्रभावी एवं वैध था एवं यह आदेश भी प्रभावी है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की कार्यवाही निरस्त योग्य है।
- इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायदृष्टांत बअनवानी कर्मजीतसिंह बनाम राजस्थान राज्य में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955–धारा 6ए डीजल व यान की जब्ती –1000 लीटर से अधिक डीजल प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जब्त किया गया–अभिनिर्धारित –1000 लीटर से अधिक मात्रा में डीजल का अभिग्रहण जो विभिन्न यानों से परिवहन की प्रक्रिया के दौरान संबंधित प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा किया गया था, वे 2005 और 1999 के नियंत्रण आदेशों के तहत ऐसा करने हेतु अधिकृत नहीं थे– अधिग्रहण और जब्ती की कार्यवाही दूषित हुई। पुनरीक्षण स्वीकार की।
- इस संबंध में मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायदृष्टांत आरसीडी 2008 (2) पृष्ठ 349, के बअनवानी सुरेश कुमार एवं अन्य बनाम राजस्थान में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि– दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973–धारा –482 आवश्यक वस्तु अधिनियम–धारा 3/7 प्रसंज्ञान लिया जाना–पुलिस ने इस आधार पर 1500 लीटर डीजल बरामद किया कि प्रार्थीयों के कब्जे में राज्य सरकार की अधिसूचना से अनुज्ञेय सूचना 1000 लीटर से ज्यादा लीटर था–दो व्यक्ति थे, जिनके कब्जे में 1511 लीटर डीजल था, निर्णीत, प्रत्येक व्यक्ति कब्जे का डीजल 1000 लीटर की अनुज्ञेय सीमा में था, प्रार्थी के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिये जाने का अपास्त किया गया।

अतः अप्रार्थी के विरूद्ध स्टेट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर अप्रार्थी की जब्त बोलेरो कैम्पर नम्बर RJ-10-GB-0568 मय 1040 लीटर डीजल मय 05 प्लास्टिक ड्रम को वापस लौटाये जाकर जब्ती की कार्यवाही निरस्त करने का निवेदन किया है।

बहस सुनी गयी। राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा जब्तशुदा डीजल को ड्रम के साथ जब्त किया गया है। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसेंस व परमिट के अवैध डीजल तेल रखना व परिवहन करना राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा डीजल मय वाहन राजसात किया जावे।

अप्रार्थी ने जवाब प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त कैम्पर में प्राप्त हुआ डीजल हरियाणा स्थित पेट्रोल पम्प से खरीद किया गया है। अप्रार्थी को

nal

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

2500 लीटर डीजल परिवहन करने एवं भण्डारण करने की अधिकारिता है। 1040 लीटर की सीमा तक प्रकरण नहीं बनाया जा सकता लेकिन जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ ने मनमाने तौर से गलत प्रकरण बनाया है। अप्रार्थी के पिता व माता के नाम से ट्रैक्टर है एवं अप्रार्थी की माता–पिता के नाम से ट्रैक्टर है एवं अप्रार्थी के माता–पिता एवं दादा के नाम की कृषि भूमि है। कृषि भूमि को काश्त करने हेतु डीजल की आवश्यकता रहती है। वरवक्त जांच यह भी बता दिया था कि डीजल खेती कार्य एवं स्वयं के वाहन के उपयोग हेतु ले जाया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और सपठित मोटर स्प्रिट और उच्चवेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 4 का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः जब्तशुदा वाहन मय डीजल अप्रार्थी को लौटाया जावे व प्रार्थी (अप्रार्थी सं0 01) के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अनुसार अप्रार्थी द्वारा उक्त डीजल की जब्ती के दौरान कोई वैध दस्तावेज प्रवर्तन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ना ही तलाशी के दौरान यह सिद्ध किया कि उसके पास खुद की कितनी कृषि भूमि है, जिसके लिए उसे लगातार डीजल का परिवहन करना पड़ रहा है। अप्रार्थी ने तलाशी के वक्त कोई वाहनों के स्वामित्व के दस्तावेजों एवं कृषि भूमि के दस्तावेज यथा जमाबंदी आदि प्रस्तुत नहीं किये। अप्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया है उससे अप्रार्थी का निजी उपयोग हेतु परिवहन किये जाने का तर्क साबित नहीं होता है। यह पश्चातवर्ती (After thought) तर्क है जिस पर अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत लागू नहीं होते हैं। पत्रावली के संपूर्ण अवलोकन से अप्रार्थी का उक्त कृत्य 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है।

अतः प्रार्थी राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ का प्रार्थना पत्र अंतर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर 1040 लीटर डीजल मय 05 प्लास्टिक को इस न्यायालय द्वारा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 14.07.2021 को दिये जा चुके हैं, को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

जहां तक जब्तशुदा वाहन बोलेरो कैम्पर नम्बर RJ-10-GB-0568 का प्रश्न है, वाहन मालिक के विरूद्ध दस हजार रूपये मात्र (10,000/–) की शास्ति के साथ केवल इस न्यायालय में दर्ज उक्त दर्ज धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रकरण में जब्तशुदा वाहन बोलेरो कैम्पर नम्बर RJ-10-GB-0568 को जब्ती से बागुजार (मुक्त) किया जाता है।

अतः जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को आदेश दिये जाते हैं कि रजिस्टर्ड मालिक द्वारा वाहन के मालिकाना दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर उक्त जब्तशुदा वाहन बोलेरो कैम्पर नम्बर RJ-10-GB-0568 के इंजिन नं0 व चैसिस नम्बर, वाहन की पंजीयन कॉपी (आरसी) से मिलान सही पाये जाने पर नियमानुसार शास्ति प्राप्त कर वाहन मालिक को सौंप दिया जाये। यदि वाहन मोडिफाई (Modified) है, तो जिला परिवहन विभाग से निरीक्षण करवाकर मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के विपरीत होने पर आवश्यक कार्यवाही करवाकर ही वाहन मालिक को सौंपने की कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(रामरतन सोकरिया)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़